हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 15 अंक : 12 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 दिसम्बर, 2024

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू (27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

स्वोंच्च न्यायालय का फैसला लागू किया जाए

अनुसूचित जाति वर्ग का उपवर्गीकरण कर क्रिमीलेयर लोगों को बाहर किया जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। सर्वोच्च न्यायालय की वृहद संविधान पीठ द्वारा दिये गये निर्णय की अनुपालना में राजस्थान में अनुसूचित जातिवर्ग का उपवर्गीकरण करने तथा क्रीमिलेयर लोगों को बाहर करने हेतु समता आन्दोलन समिति ने माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित किया है।

पत्र में नवेदन किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने दिनांक 01 अगस्त 2024 को सिविल अपील नम्बर 2317/2011 पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम देवेन्द्र सिंह एवं अन्य के साथ 22 अन्य प्रकरणों में निर्णय देते हुये यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभवंचित जातियों एवं जनजातियों तक पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का उपवर्गीकरण किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार इस वृहद संविधान पीठ ने यह भी निर्णय दिया है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियोंमें वंचित व्यक्तियों तक आरक्षण एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए क्रीमिलेयर लोगों को बाहर किया जाना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों निर्देशों की पालना करने के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी हैं।

आप यह भली भांति जानते हैं कि राजस्थान में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ केवल चार-पांच जातियाँ ही लिये जा रही है। शेष सभी जातियाँ अनुसूचित जाति के आरक्षण लाभ से तथा सरकारी योजनाओं के लाभ से पूरी तरह वंचित है। इन वंचित जातियों को विधायिका एवं स्थानीय निकायों में भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अत: आपसे प्रार्थना है कि राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल वंचित जातियों के बारे में अध्ययन करवाकर कुल 16 प्रतिशत आरक्षण कोटे को तीन उप वर्गोंमें (प्रथम उपवर्ग- 5 प्रतिशत, द्वितीय उपवर्ग-5 प्रतिशत एवं तृतीय उपवर्ग-6 प्रतिशत) में उपवर्गीकृत करवाने का अनुग्रह किया गया है।

साथ ही आशा कि गई है कि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहद संविधानपीठ के निर्णय की पालना करते हुये प्रदेश के वंचित अनुसूचित जातियों को आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उपरोक्त प्रकार से प्रदेश की जातियों का उपवर्गीकरण शीघ्रातिशीघ्र करवाकर अनुगृहित करेंगें साथ ही अनुसूचित जाति में क्रीमिलेयर को बाहर करने का प्रावधान भी लागू करने की कृपा करेंगें।

ज्ञातत्व है कि इससे पूर्व समता आन्दोलन के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ ने प्रेस कांफ्रेंस कर माननीय राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से सर्वोच्च न्यायालय की वृहद संविधान पीठ द्वारा दिये गये निर्णय की अनुपालना में अनुसूचित जनजाति वर्ग का उपवर्गीकरण करने तथा क्रीमिलेयर लोगों को बाहर करने का अनुरोध किया था।

ज्ञापन में कहा गया था कि राजस्थान राज्य के करीब एक करोड़ आदिवासी समुदाय को दिये जा रहे आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं के लाभ का लगभग सभी हिस्सा करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर आदि जिलों के एक गैर जनजाति मीणा समुदाय (जनसंख्या लगभग 35 लाख) द्वारा हड़पे जाने के कारण प्रदेश के वास्तविक आदिवासियों और गैर मीणा समुदाय के आदिवासी आरक्षण या सरकारी योजनाओं के लाभ से लगभग पूरी तरह वंचित है।

ज्ञापन में प्रार्थना की गई थी कि अनुसूचित जनजाति में क्रम संख्या-9 पर अंकित मीना जनजाति को अलग-थलग करते हुये शेष क्रम-2 से क्रम-12 में अंकित 65 लाख से अधिक गैर मीना जनजातियों को आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का उचित लाभ दिलवाने के उद्देश्य से राजस्थान में जनजाति आरक्षण को निम्न तीन उपवर्गों में उपवर्गीकृत करवाने का अनुग्रह किया गया :-

1.मीना जनजाति-चार(04) प्रतिशत।

2. टीएसपी क्षेत्र के आदिवासी- चार (04) प्रतिशत।

3.गैर टीएसपी क्षेत्र के गैर मीना आदिवासी - चार (04)

समता आन्दोलन का अनुसूचित जाति के ** उपवर्गीकरण का प्रस्ताव **

प्रथम उपवर्ग - 5 प्रतिशत

द्वितीय उपवर्ग - 5 प्रतिशत

तृतीय उपवर्ग- 6 प्रतिशत

सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट की मांग

बयाना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अनारक्षित सामान्य वर्ग के छात्रों की बैठक में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट प्रदान करने की मांग की। बैठक के बाद छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में अनारक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। पत्र में बताया कि राजस्थान पुलिस की एसआईए आरएसी के प्लाटून कमांडर, डिप्टी जेलर, एसआई टेलीकॉम और कांस्टेबल की सीधी भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। जबकि इन्हीं पदों के लिए अन्य राज्यों में आयोजित परीक्षाओं में यह सीमा 28 वर्ष से 32 वर्ष तक निर्धारित है। पत्र में राजस्थान पुलिस में 25 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के चलते अनारक्षित वर्ग के छात्रों के एक बहुत बड़े तबके को परीक्षा से वंचित रहना पड़ता है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से भर्तियों का नियमित कैलेण्डर भी नहीं है। हर साल नियमित भर्तियां नहीं निकलती हैं। वहीं कई बार आवेदन के बाद भी भर्तियों को रद्द तक कर दिया जाता है। इसके साथ ही परीक्षा में फर्जीवाड़ा भी कोढ़ में खाज का काम करता है। जिसके चलते परीक्षा में शामिल होने का सपवाले छात्र ऊपरी आयु सीमा को पार कर जाते हैं। जबकि आरक्षित वर्ग की श्रेणियों के छात्र इसी परीक्षा को 35 साल की आयु तक देने के लिए योग्य रहते हैं।

दो प्रकरण में मारपीट व जातिसूचक केस दर्ज, दोनों ही जांच में मिले झूठे

नांगल-राजावतान। थाना क्षेत्र के बड़ागांव स्थित भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के निदेशक डॉ. महेन्द्र शर्मा व स्टाफ के खिलाफ 20 अक्टूबर 2023 को दर्ज एक छात्रा व परिजनों के साथ मारपीट करने व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला पुलिस जांच में झूठा पाया गया।

गौरतलब है कि कॉलेज निदेशक डॉ. महेंद्र शर्मा व स्टाफ के खिलाफ नांगल राजावतान थाने में 20 अक्टूबर 2023 को एससी.एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ था। जांच में प्रमुख रूप से एफएसएल रिपोर्ट, कॉलेज द्वारा छात्रा को उपस्थित होने के लिए जारी नोटिस, शपथ पत्र, अभिभावकों के बयान, डॉक्टर्स की ओपिनियन रिपोर्ट, घटना के समय उपस्थित पुलिस के बयान व पूर्व में परिवादी के रिश्तेदार द्वारा दर्ज कराया झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। जांच में शिकायतकर्ता राजेन्द्र जैनल के साथ मारपीट व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करना नहीं पाया गया।

अध्यक्ष की कलम से

जाति नहीं मानव

साथियों,

समता आन्दोलन जातिवाद पर विश्वास नहीं करके मानववाद का समर्थक है। इसका सबसे ठोस प्रमाण ये रहा कि "मिशन-59" के तहत हमने अपने खर्चे पर एससी-एसटी के सदस्यों को विधान सभा चुनाव लड़वाया था। समता आन्दोलन के सहयोग से आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिये स्कूल को भी सहयोग दिया जाता रहा है।

संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार हमने पदौन्नति में आरक्षण को तथ्यपरक बनाने के लिये 2008 से आज तक संघर्ष किया है। लेकिन, कभी भी पदोन्नत कर्मचारी/अफसर को पदावनत करवाने पर जोर नहीं दिया जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ऐसा हो चुका है।

मानववाद भारतीय सांस्कृतिक मनीषा का मूल स्वर है जिसे कई सदियों की गुलामी के बाद महात्मा गांधी ने पुन: स्थापित किया तो 298 सदस्यो की संविधानसभा ने उसे संवैधानिक सुदृढता दी। इसी का परिणाम है कि आज यदि छोटे-मोटे विवादों को छोड़ दिया जावे पूरे भारत में हर स्तर पर जातिवाद पर अंकुश लगा है।

संवैधानिक संघर्ष की गति बहुत धीमी तो होती है लेकिन होती बहुत गहरी और दूरगामी है। हमारा विचार है कि सत्ता प्रतिष्ठान का विरोध करने के बजाय उसे संवैधानिक शुचिता बार-बार याद दिलवाई जाये। हमने यहीं किया है और आगे भी करते रहेंगे।

जय समता -विजय समता।

सम्पादकीय

''मूलमंत्र जातिवाद मिटाना नहीं जिलाना !!''

अखबार चुप है। इलेक्ट्रानिक मीडिया भी मानो भूल चुका है। हम आप भी उदासीन जैसे हो गये हैं। ये हो क्या गया है हम सबको? आखिर अचानक से जाति आधारित आरक्षण का मुद्दा चला कहाँ गया? ओह। आद आया। देश में चुनाव नहीं है। यदि ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव होने भी हैं तो मौटे तौर पर पार्टी आधारित नहीं होते है।

कुछ समझे ?? चलो हम बता देते हैं कि अपनी सम्पूर्णता में जाति आधारित आरक्षण एक ऐसह दुधारू गाय है जिसे केवल और केवल चुनावों के समय ही दूहा जा सकता है? इस बात में एक बात ये भी छुपी है कि पार्टियों के साथ जनता का मानस भी लगभग समान है। अर्थात स्पष्ट है कि पार्टियों और जनता की नजर में कथित विकास मात्र एक शिगूफा है। कुल 140 में से 80 करोड जन यदि पाँच किलो अन्न के मोहताज हैं भी बना दिये गये हैं तो विचारक सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि जातिवाद (?)को मिटाना नहीं न अपित ''जिलाना'' मूल मंत्र है जो सभी पार्टियाँ समझ चुकी हैं।

ये तो नहीं पता कि ऐसा किया गया है या अपने आप हो गया है कि विचारक और प्रचारक में कोई भेद ही नहीं रहा है। विशेषकर जिसे गोदी मीडिया का सम्बोधन दिया जा रहा है वहाँ तो हर दूसरे दिन टी वी पर्दे पर आप दिखाई दे जाता है कि विचारक और प्रचारक में भेद को समाप्त करने में एक नयी प्रजाति का भी योगदान हो गया है। और वो प्रजाति है ''एंकर्ष'' की। तामसिक अहंकार में डूबे चैनलों के ये कर्मचारीर खुद को सर्वज्ञाता मानते दिखाई पड़ते हैं। इन हालात में जाति आरक्षण का मुद्दा जातिवाद ''मिटाना'' है अथवा ''जिलाना'' है इसे समझना बेहद कठिन है।

कथित जातिवाद से डरी सरकारें और व्यवस्था हर जगह अपने आपको कुछ इस तरह अलग करती जा रही हैं कि मानों संविधान का मूलस्वरूप लोक-कल्याणकारी को बदलकर लोककष्टकारी बनता साफ-साफदीख रहा है। या फिर ऐसे माना जा सकता है कि तपे हुए नेताओं का पार्टियों में सम्मान और संरक्षण बन्द हो चुका है?

ये बात समझ में आती है कि कुछ छः राष्ट्रीय और 30 क्षेत्रीय पार्टिया साधु-सन्यासी नहीं हैं। उनके पास यदि कोई विचार और भोजना है तो उसे लागू करने के लिये सत्ता मिलनी ही चाहिये। लेकिन ये तथ्य समझ से बाहर है कि सभी पार्टियों के सतत प्रयास के बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि जाति आरक्षण का जिन्न 75 साल तक प्रयास के बावजूद वापस बोतल में बंद नहीं किया जा सका है। बल्कि अब तो क्षेत्र और धर्म के नाम पर जाति आरक्षण का विस्तार किया जा रहा है।

किसी जमाने में भारत उत्तर-दक्षिण के रूप में बंटा हुआ था। लेकिन आज 28 प्रदेशों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों में जात के नाम पर कितने अलग-2 पोकेट बन चुके हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है? पूरे देश की ये समस्या बेहद विकराल है। और उससे लड़ने को मात्र एक हथियार ''संविधान'' है। इस संविधान की मूल भावना को सत्ता के स्वार्थ ने लील लिया है। तभी तो शुरू के माल 75 सालों में लगभग सवा सौ संविधान संशोधन किये जा चुके हैं। सभ्यता की भाषा में इसे संविधान का लचीलापन कहकर महिमा मंडित किया जाता है लेकिन इसकी व्याख्या करने वाली बड़ी अदालते आज भी लिखि पढी ही हैं। उन्हे पढा लिखा होना समय की मांग है।

जय समता।

– योगेश्वर झाड़सरिया

'आरक्षण: धुरी से हटती कांग्रेस

25 दिसम्बर । समता डेस्क। एक वाक्य में कहा जाये तो– राहुल गांधी के नेतृत्व (?) में काँग्रेस अपनी धुरी से हट रही है। झारखण्ड चुनाव प्रचार ने तो मानों इस तथ्य पर मुहर ही लगा दी है। वहाँ की एक चुनाव सभा में प्रधानमंत्री को लपेटते हुए कहा कि भाजपा ने ''बैकवर्ड वर्ग'' का आरक्षण 27 से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया है जबकि प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि वे वैकवर्ड कलास से हैं।

अपनी बात को चुनावी वादा बनाने के लिये उन्होंने कहा कि झारखण्ड अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 28 प्रतिशत किया जायेगा और अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 प्रतिशत और ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत की व्यवस्था काँग्रेस करेगी। इस प्रकार उन्होंने अपने उस कथन को प्रमाणित बनाने का प्रयास किया है जिसमें वे बार-बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को बढाने की बात कहते रहे हैं।

> नेहरू ने जून 1961 में सभी मुख्यमंत्रियों को चेतावनी भरा पत्र लिखकर कहा था – ''इस मार्ग (आरक्षण) पर चलना आगे चलकर विध्वंसकारी सिद्ध होगा।'' जबकि ये पत्र जारी करने से पहले अप्रैल 1961 में वे खुद दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था को समाप्त करके आरक्षण को विध्वंसकारी बना चुके थे।

हालांकि जातिगत जनगणना का उनका जुमला हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव में फेल हो चुका है। फिर वे इसका राग अलापना नहीं छोड़ते हैं। इन बातों से ये लगता है कि राहुल गांधी अपने परदादा पंडित जवाहर लाल नेहरू से अलग सोचना चाहते हैं। नेहरू ने जून 1961 में सभी मुख्यमंत्रियों को चेतावनी भरा पत्र लिखकर कहा था – ''इस मार्ग (आरक्षण) पर चलना आगे चलकर विध्वंसकारी सिद्ध होगा।'' जबकि ये पत्र जारी करने से पहले अप्रैल 1961 में वे खुद दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था को समाप्त करके आरक्षण को विध्वंसकारी बना चुके थे।

उधर महाराष्ट्र से खबर और भी निराश कर देने वाली है कि वहाँ कुछ गाँवों में मराठा और ओबीसी के बीच मनमुटाव वैमनस्य की सीमा तक पहुंच गया है और लोगों से आपस में बातचीत तक करना बंद कर दिया है। यह भी राहुल की जातीय जनगणना की बालहठ से जोड़कर देखा जा रहा है।

जाति आरक्षण: प्रश्न तो बनता है

समता डेस्क। लोगो को कई बार कहते सुना है की मधुमेह अपने आप में कोई बिमारी नहीं है लेकिन अनेक बीमारियों का कारक हैं। ठीक इसी तरह जाति के आधार पर आरक्षण कोई बुराई नहीं हैं लेकिन भारत के बढते पांवो में जितनी भी बेड़िया है प्रायः वे सभी जाति आरक्षण के कारण ही हैं ऐसा बार बार सुनने को मिलता है । हालाँकि जाति आरक्षण के नाम पर देश में अवसरों और संसाधनों कि जितनी जैसी लूट मात्र इसके कारण हो रही है वह ध्यान तो आकर्षित करती ही हैं लेकिन विकल्प के अभाव में निराश भी करती है।

जाति आरक्षण का सबसे भयानक और घृणित दुरुप्रयोग ये हुआ कि भारतीय सविंधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से बटंवारे के बाद 299 रह गए । इनमे से 229 चुने हुए और 70 मनोनीत सदस्य थे। इन सभी 299 स्वतंत्रता सेनानियों ने दो साल गयारह महीनें और सत्रह दिनों के विचार मंथन के बाद सविंधान की रचना की जो सविंधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के हस्ताक्षरो के बाद 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ।

डॉ भीमराव अंबेडकर ने स्वयं सविंधान में स्थापना की है कि लागू होने के पहले

> सविंधान में स्थापना की गई थी कि लागू होने के पहले दस सालों के बाद जाति आरक्षण स्वंय समाप्त हो जायेगा!! फिर यह बीमारी आजादी के 75 सालों बाद तक कैसे ला-ईलाज मर्ज बनकर देश को खोखला किये जा रही है ??

दस सालों के बाद जाति आरक्षण स्वंय समाप्त हो जायेगा!! फिर यह बीमारी आजादी के 75 सालों बाद तक कैसे ला-ईलाज मर्ज बनकर देश को खोखला किये जा रही है ??

संभवतः भारतीय संविधान दुनिया का एक मात्र है जो ''बदले की भावना'' का दस्तावेज है। मात्र कल्पना के आधार यह मान लिया गया कि आजादी के पहले कथित दलितों के साथ कथित उच्चजात के लोगों ने भयंकर अन्याय किया। जबकि तथ्य ये है कि इंग्लैण्ड के संविधान से 80 सालों तक शासित रहे भारत में केवल दो ही जात थी। एक प्रभु वर्ग अर्थात अंग्रेज और दूसरे दास वर्ग अर्थात भारतीय। इनमें से दास वर्ग की सम्पूर्णता में हालत और भी खराब थी क्योंकि देश की 565 रियासतों में वहीं के राजाओं का मौखिक संविधान भी लागू था। इन हालातों में किसने किसके साथ क्या अन्याय किया यह पता लगाना असंभव जैसा कठिन है। फिर भी इसी आधार पर जात आधारित आरक्षण 75 सालों से फल-फूल रहा है।

ये कैसा अमृत महोत्सव है कि सरकारें जाति आरक्षण से डरकर उसका मुकाबला छोड़कर पूरे देश को बेचने में लगी हैं। लेकिन क्या इससे समस्या सुलझ जायेगी? ऐसा सोचना शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन तक सिर को मिट्टी में छुपाकर खुद को सुरक्षित समझने जैसा है। क्योंकि एक दम साफ है कि अब धर्मान्धता और जातीयता ने गठजोड़ बना लिया है। इससे भारत राष्ट्र बेहद पेचीदा हालातों में घिर चुका है। सविंधान, संसद और सरकारों के होते हुए यदि देश का जन जात के आतंक से आतंकित है तो प्रश्न बनता है कि फिर भारत को आजादी की आवश्यकता ही क्या थी। क्योंकि आजादी से पहले कथित दलितों के साथ को कथित बुरा व्यवहार बताया जाता हैं उससे अधिक बुरा बर्ताव तो सवैंधानिक भारत में कथित समर्थो के साथ किया जा रहा है । और दो टूक तथ्य है कि दूसरी बात अधिक भयानक और शर्मशार करने वाली हैं ।

पौराणिक कथन : ''तंत्र''

उपासना सम्बंधी एक शास्त्र । आगम, भामल, मुख्यतंत्र इसके तीन भाग। इसके ज्ञाता भोगी कहलाते हैं।

हम क्यूँ मानें, हम क्यूँ मानें,
जातिवाद बस जड़ता जाने,
संविधान है प्राण देश का–
वे कहते हैं हम क्यूँ मानें ।।

कविता

''चार मुक्तक- टिल्ली ली ली''

(1)
नेताओं की नयी सोच से
रक्षक भक्षक एक हो गये।
जिनका काम जगाना भर था,
वे सब चादर ओढ सो गये।
भावों के इस असमंजस में,
सभी व्यवस्था हुई निठल्ली।
बदला गीता सार जहाँ में,
कर्मयोग की टिल्ली ली ली ।।

(2)
ऐसे वैसे जैसे तैसे,
जो चलता उसको चलने दो।
कलियुग रामराज आने तक,
हर उगता सूरज ढलने हो।
जो होता है हो जाने दो,
जात अमावस बात नशीली।
अधिक हुये चौकन्ने तो वे,
कर डालें गे टिल्ली ली ली ।।

(3)
इतिहासों की गाय दूह कर
वे चाहे मक्खन घटे भरना।
वर्तमान मंगल पर संकट
कहते हैं शुभ खुद कर मरना।
नयी लेखनी नयी दवातें,
लिखें कथा हिंसक दर्दीली।
सब आरक्षित करना चाहें
लोकतंत्र की टिल्ली ली ली ।।

(4)
बंदनवर बने निज आलय,
पुलकित मन के सहज चितरे।
क्योंकर मन को करें सशंकित,
रात दिवस सम तेरे मेरे।
आपस में जुड़ चलें सभी तो,
दिख सकते ज़्यों मक्की छल्ली।
आरक्षण को धता बताओ,
जाति धर्म हो टिल्ली ली ली ।।

– समतावादी –

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंततः एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कहना है, ''हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, जिसका गंतव्य सामाजिक क्रांति है। यह न तो शक्तिहीन है और न ही निश्चल अथवा स्थिर, बल्कि यह पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और मूल्य-सापेक्ष है, जैसा हमारे गणतंत्र की घोषणा है। जहाँ प्राचीन समाजिक अन्याय पूरी भारतीय मानवता के लिए 'आत्मिक धारा' को अवरूद्ध कर देता है, वहाँ हमारा संविधान गुटनिरपेक्ष नहीं रह जाता।

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनके सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

अनुच्छेद 335 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ''सेवा अथवा विभाग की कुशलता या गुणवत्ता को बनाए, रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक अथवा अन्य योग्यता स्तर में ढील नहीं दी जा सकती।''

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंततः एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंततः अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यो नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंततः एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते है और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघान होता है।

यह दुःखद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंर्तगत रखी गई शर्तो की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की विशेष समझ होनी चाहिए।

शीर्ष अदालत का फैसला: इसाई धर्म अपनाने वाले खो देते हैं जातिगत पहचान

आरक्षण लाभ के लिए धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बिना किसी वास्तविक आस्था के केवल आरक्षण का लाभ पाने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी है। ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति अपनी जातिगत पहचान खो देते हैं। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने सी सेल्वरानी की याचिका पर यह फैसला सुनाया।

पीठ ने मद्रास हाइकोर्ट के 24 जनवरी के उस फैसले को बरकरार रखाए जिसमें ईसाई धर्म अपना चुकी इस महिला को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया था। इस महिला ने आरक्षण के तहत रोजगार का लाभ प्राप्त करने के लिए हिंदू होने का दावा किया था।

न्यायमूर्ति महादेवन ने पीठ के लिए 21 पृष्ठ का फैसला लिखा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म को तभी अपनाता है, जब वह वास्तव में उसके सिद्धांतों, धर्म और आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है, अगर धर्म परिवर्तन का मुख्य मकसद दूसरे धर्म में वास्तविक आस्था होने के बजाय आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी गलत मंशा रखने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण नीति के सामाजिक लोकाचार को ही क्षति पहुंचेगी।

पीठ ने कहा कि आरक्षण (अनुसूचित जाति) के लाभ का दावा करने के लिए पुन: धर्मांतरण तथा अपनी मूल जाति द्वारा स्वीकार किये जाने का ठोस सबूत देना होगा ।

ईसाई के रूप में पैदा हुआ व्यक्ति जाति के ग्रहण के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता है, क्योंकि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं है।

दोहरा दावा स्वीकार्य नहीं

पीठ के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्टतया पता चलता है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म को मानती थी तथा नियमित रूप से गिरजाघर में जाकर सक्रिय रूप से इस धर्म का पालन करती थी। पीठ ने कहा कि इसके बावजूद वह हिंदू होने का दावा करती है और नौकरी के लिए अनुसुचित जाति समुदाय का प्रमाण.पत्र मांगती है। इस् तरह का दोहरा दावा अस्वीकार्य है और वह ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद एक हिंदू के रूप में अपनी पहचान बनाये नहीं रख सकती हैं।

क्या था मामला

हिंदू पिता और ईसाई माता की संतान सेल्यरानी को जन्म के कुछ समय बाद ही ईसाई धर्म की दीक्षा दी गयी थी उसके पिता अनुसूचित जाति के थे और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, बाद में सेल्वरानी ने हिंदू होने का दावा किया और 2015 में पुडुचेरी में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र मागा, पीठ ने कहा कि महिला ईसाई धर्म में आस्था रखती है और महज नौकरी में आरक्षण का लाभ उठाने के उद्देश्य से वह हिंदुत्व का अब तक पालन करने का दावा करती हैण् ऐसे में महिला को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करना आरक्षण के मूल उद्देश्य के खिलाफ होगा और संविधान के साथ धोखाधड़ी होगी।

सत्ता के लिए किया आरक्षण का इस्तेमाल

पीएम मोदी ने कांग्रेस को दिखाया आईना

नई दिल्ली। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर अपनी-अपनी बातें रखी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरक्षण के विरोध और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि राहुल गांधी ने जाति जनगणना कराने और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा तोड़ने का वादा किया।

संसद में पहले राहुल गांधी ने आगामी चुनावों में जाति जनगणना करने का वादा किया और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को तोड़ने का मुद्दा उठाया। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए, कांग्रेस पर आरक्षण को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समता और संतुलित विकास के लिए आरक्षण की संकल्पना दी थी, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया और दशकों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाए रखा। मोदी ने कहा कि पं. नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस ने आरक्षण का विरोध किया, जबकि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तब ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिला।

वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण को सत्ता की भूख के रूप में इस्तेमाल किया और धर्म के आधार पर आरक्षण के नए तरीके की शुरुआत की, जो संविधान की भावना के खिलाफ था। पीएम ने कहा कि यह कांग्रेस का पाप था, जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया था। मोदी ने यह भी कहा कि बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम कांग्रेस के सत्ता से बाहर जाने के बाद हुआ था।

नेहरू ने किया था आरक्षण का विरोध- पीएम

इस दौरान उन्होंने नेहरू के आरक्षण के विरोध का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पं. नेहरू ने आरक्षण के खिलाफ मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी और इस पर लंबे-लंबे भाषण दिए थे। इसी तरह, राजीव गांधी और उनके बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी आरक्षण के मुद्दे पर विरोध किया। पीएम ने इसे इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य बताया और कहा कि आरक्षण का वास्तविक लाभ गरीबों और पिछड़ों को कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद ही मिला।

राहुल गांधी का जाति जनगणना पर जोर

वहीं, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की ओर से जाति जनगणना की मांग की। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी, तो जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और इस जनगणना के बाद वे 50 प्रतिशत आरक्षण की दीवार को तोड़ने का वादा करेंगे। राहुल ने कहा कि यह कदम देश के सामाजिक और राजनीतिक समानता को बहाल करने के लिए आवश्यक है और उनकी सरकार इसे लागू करेगी।

आरक्षण पर राहुल गांधी का बयान

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य खराब किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने युवाओं को अंगूठा काटने जैसा काम किया है। राहुल ने यह भी कहा कि वे यह वादा करते हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद जातिगत जनगणना और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को तोड़ने का काम करेंगे।

हमारी सरकार ने ओ.बी.सी. और महिलाओं को ताकत देने के लिए संविधान संशोधन किया

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब उसने अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण नहीं दिया, एन.डी. ए. सत्ता में आई, तब उसने इस वर्ग को आरक्षण दिया। संविधान की गरिमामय यात्रा पर चली दो दिन की बहस का समापन करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि संविधान सभा द्वारा अस्वीकार करने के बावजूद, कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए प्रयास कर रही है।

समता आन्दोलन समिति में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ

समता आन्दोलन के पूर्व महासचिव रामनिरंजन गौड़ पेन एवं गुलाब देकर सुरेन्द्र सिंह राठौड़ को अपना चार्ज सौपते हुए।

राम निरंजन गौड़ सलाहकार एवं सुरेन्द्र सिंह राठौड़ महासचिव नियुक्त

जयपुर। समता आन्दोलन को मिला नया प्रांतीय महासचिव हाल ही कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व महासचित राम निरंजन गौड ने राजस्थान प्रदेश समता आन्दोलन के नये महासचित पद के लिये सुरेन्द्र सिंह राठौड़ का नाम प्रस्तावित किया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बाद में समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने उनको महा सचित मनोनीत किये जाने की घोषणा की। सुरेन्द्र सिंह राठौड़ को संगठन में नये उत्तरदायित्व के लिए हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। आशा है, उनके कुशल और कर्मठ नेतृत्व में संगठन और अधिक ऊंचाईयों को प्राप्त करने में सफल होगा और हम सभी को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा।

रामनिरंजन गौड़ को ससम्मान ''सलाहकार'' के प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर गौड़ महामंत्री रहते हुए भी समता आन्दोलन के मार्गदर्शक रहे हैं। जातिगत आरक्षण विरोधी समतावादी आन्दोलन की राष्ट्रवादी नीतियों को पूरी तरह समझने वाले गिने चुने साथियों में गोड़ साहब का महत्वपूर्ण स्थान है।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in